कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ए0 पी0 एसोसिएट्स शॉप नम्बर-21, अनुपम नगर, मोती झील, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**044 / 14, 18.09.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री परवेज अख्तर, फर्म स्वामी।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री ए0 पी0 एसोसिएट्स शॉप नम्बर-21, अनुपम नगर, मोती झील, लखनऊ द्वारा दिनांक 18.09.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है :-

1. Aluminium Containers
2. PVC Cling Film or Cleanwrap

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री परवेज अख्तर, फर्म स्वामी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Aluminium Containers, एल्युमिनियम के पतले Foil को प्रेस करके बनाया जाता है जिसमें पका भोजन इत्यादि पैक किया जाता है। PVC Cling Film अथवा Cleanwrap का प्रयोग भोज पार्टियों में कटे फल एवं सलाद इत्यादि को लपेट करके पैक किया जाता है। इन दोनों वस्तुओं पर कर की दर बताने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी द्वारा सुनवाई के समय वस्तु का नमूना अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसकी छवि निम्न प्रकार सुरक्षित की गयी :-

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1849 , दिनांक 16.10.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की

अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-201 पर Metal Containers. की प्रविष्टि अंकित है जबकि क्रमांक-238 पर Articles of metals, namely boxes, cases, crates, containers and their stoppers, caps, lids of metal used for packing of goods (but not including insulated wares). की प्रविष्टि अंकित है जिससे स्पष्ट है कि insulated wares के अतिरिक्त पैकिंग में प्रयुक्त किये जाने वाले Aluminium Containers पर करदेयता 4% + अतिरिक्त कर की दर से अनुमन्य है।

Cleanwrap का प्रयोग फल, सलाद आदि को पैक करने में किया जाता है। PVC Cling Film अथवा Cleanwrap वास्तव में PVC की thin film है जो पैकिंग मैटेरियल से सम्बन्धित, अधिनियम की किसी भी प्रविष्टियों में समाहित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि PVC Cling Film अथवा Cleanwrap उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत आच्छादित है तथा इस पर करदेयता 12.5% + अतिरिक्त कर की दर से अनुमन्य होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-238 पर अंकित प्रविष्टि निम्नवत् है :-

Articles of metals, namely boxes, cases, crates, containers and their stoppers, caps, lids of metal used for packing of goods (but not including insulated wares).

उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत metal containers, cases, एवं boxes का उल्लेख है। प्रार्थी द्वारा उल्लिखित Aluminium Containers एक प्रकार का metal container ही है। प्रार्थी द्वारा जिस वस्तु पर कर की दर पूछी जा रही है उक्त प्रविष्टि क्रमांक-238 से आच्छादित प्रतीत होता है।

PVC Cling Film अथवा Cleanwrap से कोई वस्तु पैक नहीं किया जाता है अपितु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कच्चे सलाद, फलों तथा प्लेट इत्यादि को Wrap करके स्वच्छ एवं साफ रखा जाता है इसलिए यह वस्तु पैकिंग मैटेरियल के अन्तर्गत नहीं आयेगी। PVC Cling Film अथवा Cleanwrap उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की जा सकती है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। तथा प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा Aluminium Foil से बने हुए जिस Container को प्रस्तुत किया गया है उसमें रेस्टोरेन्ट एवं होटलों द्वारा पके भोजन (Cooked Food) को पैक करके ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है। यह वस्तु उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-238 पर वर्गीकृत वस्तुओं से आच्छादित है। अत: Aluminium Containers पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

PVC Cling Film अथवा Cleanwrap प्रयोग में पैकिंग मैटेरियल नहीं है। अपितु इससे कच्चे खाद्य पदार्थों एवं खाने की प्लेट इत्यादि को, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, प्रस्तुति के पूर्व, Wrap किया जाता है। यह

...3

वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: PVC Cling Film or Cleanwrap पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

ह0 / 21.10.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।